


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशिलयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14/2/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं उपस्थित। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी गई। संक्षेप में इस प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गोपीगर पुत्र धनगर जाति गुंसाई निवासी मलकीसर छोटा तहसील लूनकरनसर को चक 20 एमकेडी के मु0नं0 161/27 के किला नं0 13, 14, 16 ता 22 की 9 बीघा भूमि विशेष आवंटन में दिनांक 20.3.2000 को उपखण्ड अधिकारी बीकानेर द्वारा आवंटित की गई। आवंटन के पश्चात आवंटित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई तथा आवंटन से प्रार्थी आदिनांक उक्त भूमि पर काबिज काशत चला आ रहा है। प्रार्थी के पास अन्य कोई आय का साधन नहीं है, प्रार्थी एक गरीब किसान है इसलिए किरतों की अदायगी प्रार्थी समय पर नहीं कर सका इस पर दिनांक 13.3.2002 को उक्त भूमि किरतों के अभाव में खारिज कर दी गई। अब प्रार्थी ने किसी प्रकार समस्त बकाया किरतें एकमुश्त जमा करवाने हेतु रूपयों की व्यवस्था की है तथा राज्य सरकार की ओर से भी ब्याज की छूट प्रदान की हुई है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को आवंटित उक्त भूमि की बकाया किरतें जमा करवाई जाने हेतु आदेश फरमाया जावे एवं प्रार्थी को आवंटित उक्त भूमि बहाल की जावे।</p> <p>राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार मुताबिक आवंटन आदेश व नामान्तरकरण की फोटोप्रति के गोपीगर पुत्र धनगर जाति गुंसाई निवासी मलकीसर छोटा तहसील लूनकरनसर को चक 20 एमकेडी के मु0नं0 161/27 के किला नं0 13, 14, 16 ता 18, 19 ता 22 की 9 बीघा भूमि विशेष आवंटन में दिनांक 25.4.2000 को उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा आवंटित की गई थी जो किरतों के अभाव में खारिज कर दी गई व कब्जा बहक सरकार लिया गया। वर्तमान में उपरोक्त रकबा आराजीराज दर्ज है, कोई वाद विवाद नहीं है तथा मौके पर खाली है।</p> <p>तहसील से प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार चक 20 एमकेडी के मु0नं0 161/27 के किला नं0 19 ता 22 की 4 बीघा कमांड व किला नं0 13, 14, 16 ता 18 की 5 बीघा अनकमांड कुल तादादी 9 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि आराजीराज दर्ज है तथा अन्य किसी को आवंटित नहीं है। उक्त भूमि के पेटे 60275/-रूपये व ब्याज की राशि बकाया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज काशत है।</p> <p>वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चक 20 एमकेडी के मु0नं0 161/27 के किला नं0 13, 14, 16 ता 18, 19 ता 22 की 9 बीघा भूमि प्रार्थी को विशेष आवंटन में दिनांक 25.4.2000 को उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा आवंटित की गई है जो दिनांक 13.3.2002 को किरतों के अभाव में खारिज की जा चुकी है। चूंकि उक्त भूमि अन्य किसी को आवंटित नहीं की गई है, मौके पर प्रार्थी काबिज काशत है एवं अन्य कोई विवाद नहीं है तथा प्रार्थी अब बकाया किरतें एकमुश्त जमा करवाकर उक्त भूमि बहाल करवाना चाहता है अतः प्रार्थना पत्र</p>	

दाख
14/2/19
1/2/19

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर